कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 55वी बैठक दिनांक 21.05.2025

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल की 55वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 को अपरान्ह 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :-

	प्रो. कैलाश सोडाणी माननीय कुलपति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	**श्रीमती कल्पना देवी (Online)** माननीय विधायक–लाडपुरा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3.	**प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
4.	**प्रो. एन. सी. गौतम (Online)** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
5.	**डॉ. मुरलीधर शर्मा** राज0 सरकार के द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6.	**डॉ. संतोष आनन्द** राज0 सरकार के द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
7.	**डॉ. श्वेता सक्सेना** राज0 सरकार के द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
8.	**डॉ. मुकेश कुमार शर्मा (Online)** संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
9.	**श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (Online)** संभागीय आयुक्त, कोटा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के नामित सदस्य (प्रतिनिधि)	सदस्य

10.	प्रो. रीना दाधीच कुलपति द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
11.	डॉ. अनिता सुखवाल कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता	सदस्य
12.	डॉ. अनुकृति शर्मा विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
13.	डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य	सदस्य
14.	श्री भगवान कर्मचन्दानी वित्त नियंत्रक, को.वि.को.	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती भावना शर्मा कुलसचिव	सदस्य सचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति एवं सदस्य सचिव द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

पूरक एजेण्डा मद संख्या–1	:	**प्रबंध मंडल की 52वीं, 53वी बैठक दिनांक 14.12.2024, 22.01.2025 (Circulation Method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2024, 22.01.2025 (Circulation Method) के कार्यवाही विवरण का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।
पूरक एजेण्डा मद संख्या–2	:	**प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 21.08.2024, 14.12.2024 एवं 22.01.2025 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित्त करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21.08.2024, 14.12.2024, 22.01.2025 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–1	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012 व 2013 में नियुक्त हुए शिक्षकों को सी.ए.एस के तहत पदोन्नत करने का प्रकरण राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.21(3)/शिक्षा–4/2017–02282 दिनांक 06.05.2025 के क्रम में**

		प्रबंध मण्डल से अनुमोदित करवाने बाबत्।
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012 व 2013 में शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायत होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर प्राथमिकी संख्या 232/2017 में अन्वेषण उपरांत उक्त वाद पर ए.सी.बी. द्वारा दिनांक 11.12.2019 को एफ.आर. माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा दिनांक 20.12.2024 को एफ.आर. स्वीकार की गई। अतः उक्त प्रकरण के निस्तारित हो जाने के फलस्वरूप तथा राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक –प. 21(3)/शिक्षा–4/2017–02282 दिनांक 06.05.2025 के क्रम में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:– 1. विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 व 2013 में नियुक्त शिक्षकों की सी.ए.एस. के तहत नियमानुसार पदोन्नति किये जाने की अनुशंषा की जाती है। 2. सी.ए.एस. के सम्बन्ध में आने वाले वित्तीय भार को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही वहन करेगा। नोटः–उक्त प्रकरण में चर्चा एवं निर्णय के दौरान प्रकरण से संबंधित तीन प्रबन्ध मण्डल के सदस्य कक्ष से बाहर रहे। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कार्मिकों के स्थायीकरण का प्रकरण भी सदन के सदस्यों के ध्यान में आया। जिसमें विश्वविद्यालय के संस्थापन अनुभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट 03 दिवस में प्राप्त करने एवं प्रकरण में विधिक राय ली जाकर तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही 15 दिवस में किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। प्रबन्ध मण्डल को माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में अशैक्षणिक कार्मिकों के स्थायीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण को पुनः सहमति हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नहीं रखे जाने का अभिमत व्यक्त किया गया।
मद संख्या–2	:	**वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। आगामी बी.एफ.सी. की मीटिंग में राज्य सरकार से अनुदान राशि में बढोत्तरी बाबत् भी प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया ।
मद सं. 3	:	**विश्वविद्यालय कुलगीत की समयावधि को कम करने पर विचार करना ।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय कुलगीत की समयावधि अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर की की जाकर लगभग 100 सैकण्ड किये जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने के लिये माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

	: **प्रबंध मण्डल से अनुमोदित करवाने बाबत्।**
निर्णय	: कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012 व 2013 में शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायत होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर प्राथमिकी संख्या 232/2017 में अन्वेषण उपरांत उक्त वाद पर ए.सी.बी. द्वारा दिनांक 11.12.2019 को एफ.आर. माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा दिनांक 20.12.2024 को एफ.आर. स्वीकार की गई। अतः उक्त प्रकरण के निस्तारित हो जाने के फलस्वरूप तथा राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक –प. 21(3)/शिक्षा–4/2017–02282 दिनांक 06.05.2025 के क्रम में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 व 2013 में नियुक्त शिक्षकों की सी.ए.एस. के तहत नियमानुसार पदोन्नति किये जाने की अनुशंषा की जाती है। 2. सी.ए.एस. के सम्बन्ध में आने वाले वित्तीय भार को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही वहन करेगा। नोटः–उक्त प्रकरण में चर्चा एवं निर्णय के दौरान प्रकरण से संबंधित तीन प्रबन्ध मण्डल के सदस्य कक्ष से बाहर रहे। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कार्मिकों के स्थायीकरण का प्रकरण भी सदन के सदस्यों के ध्यान में आया। जिसमें विश्वविद्यालय के संस्थापन अनुभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट 03 दिवस में प्राप्त करने एवं प्रकरण में विधिक राय ली जाकर तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही 15 दिवस में किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। प्रबन्ध मण्डल को माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में अशैक्षणिक कार्मिकों के स्थायीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण को पुनः सहमति हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नहीं रखे जाने का अभिमत व्यक्त किया गया।
मद संख्या–2	: **वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनुमोदन करना।**
निर्णय	: वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2025 के कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। आगामी बी.एफ.सी. की मीटिंग में राज्य सरकार से अनुदान राशि में बढोत्तरी बाबत् भी प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया ।
मद सं. 3	: **विश्वविद्यालय कुलगीत की समयावधि को कम करने पर विचार करना ।**
निर्णय	: विश्वविद्यालय कुलगीत की समयावधि अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर की की जाकर लगभग 100 सैकण्ड किये जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने के लिये माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 4	महाविद्यालय के निरीक्षण करने पर निरीक्षण दल को TA/DA का नियमानुसार भुगतान प्रथमतः महाविद्यालय द्वारा किया जाना जिसका पुनर्भरण (Reimburse) महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में bills प्रस्तुत करने पर नियमानुसार किये जाने संबंधी प्रस्तावो पर विचार करना।
निर्णय	निरीक्षण दल को TA/DA का भुगतान महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के नियमानुसार किये जाने के पश्चात् महाविद्यालय के पुनर्भरण (Reimburse) bills का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किये जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा–1 (डीपीसी रिव्यू)	**विभागीय पदोन्नति समीक्षा समिति की दिनांक 17.05.2025 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषाओं पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में गठित समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुशंषाओं पर माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर से वांछित मार्गदर्शन के जवाब/प्रत्युत्तर प्राप्त होने के अध्यधीन रखे जाने का उल्लेख पदोन्नति आदेश में करते हुये एक सप्ताह में पदोन्नति संबंधित समस्त आदेश जारी कर दिये जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा–2	**वित्त (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. जयपुर दिनांक 06.10.2023 के द्वारा लागू की गयी Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme विश्वविद्यालय में प्रभावी करने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	विश्वविद्यालय में प्रथम बार कार्मिकों पर Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme लागू होनी है। उक्त (MACP) Scheme को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने का प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(प्रो. कैलाश सोडाणी) 21/5/25
कुलपति
एवं अध्यक्ष

(भावना शर्मा)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव

(संतोष आनन्द)

(Dr. Anita Kharol)

(Dr. Anukriti Sharma)

21/05/25
(Reena Badhich)

(Dr. Krishna Kumar Sharma)

(प्रो. बी.पी. सारस्वत)